मुकुल गोयल,
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र सं0 40/2021

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ-226010

दिनांकः अक्टूबर 20, 2021

विषयः हैबियस कार्पस रिट पिटीशन 733/2020 प्रदीप कुमार चौहान बनाम उ0प्र0 राज्य व 3 अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 10.08.2021 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय/महोदया,

अपराधों की गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी विवेचना सुनिश्चित करने के मार्गदर्शन सिद्धान्त इस मुख्यालय द्वारा वर्ष 2018 में जारी विवेचना हस्तपुस्तिका के माध्यम से निर्गत किये गये थे। इस विवेचना हस्तपुस्तिका में विस्तृत रूप से अंकित किया गया था कि विभिन्न प्रकृति के अपराधों की विवेचना किस प्रकार सम्पादित की जायेगी और विवेचना के दौरान किन सावधानियों और बारीकियों को ध्यान में रखा जायेगा किन्तु गम्भीर अपराधों की विवेचना में लापरवाही के प्रकरण लगातार संज्ञान में आये हैं।

हैबियस कार्पस रिट पिटीशन-733/2020 प्रदीप कुमार चौहान बनाम उ0प्र0 राज्य व 3 अन्य से सम्बन्धित मु.अ.सं. 185/2019 धारा 363/366/120बी/504 भादवि तथा 7/8 पॉक्सों एक्ट की विवेचना के दौरान पीड़िता की आयु निर्धारण के सम्बन्ध में निर्धारित प्रक्रिया का पालन विवेचक द्वारा नहीं किया गया। मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष हुयी सुनवाई के उपरान्त मा0 न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में अप्रसन्नता व्यक्त की गयी कि किशोर न्याय अधिनियम-2015 में स्पष्ट व्यवस्था होने के बाद भी विवेचक द्वारा पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया जबकि उसकी शिक्षा सम्बन्धी अभिलेख मौजूद थे। मा0 न्यायालय द्वारा यह भी टिप्पणी की गयी कि विवेचक या तो उपरोक्त वर्णित प्राविधानों से अनभिज्ञ है अथवा उनके द्वारा अभियुक्त को लाभ पहुँचाने के लिये यह कार्य किया गया है।

मा0 न्यायालय द्वारा उपरोक्त के दृष्टिगत पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 से निम्नवत कार्यवाही के निर्देश दिये गये है-

" It appears that either Investigating Officer is not aware of the procedure and the provisions contained in the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 or with a view to shield the accused person, he has directed the victim to undergo medical examination.

This requires thorough enquiry in the matter.

The Director General of Police, U.P. is directed to immediately issue a circular/order informing all the investigating Officers through respective Superintendents of Police, the manner in which investigations to be carried out. He shall also ensure that all the Investigating officers are given periodic training and Ist phase of periodic training be completed within one year after drawing a time-table/ roaster for said training to be imparted in various Police Academies of the State including training for forensic and scientific investigation.

The Director General will submit first report before the Registrar General before expiry of three months from today as to the steps taken from rendering training on the aspect of the investigation to all the Investigating Officers posted in the State of Uttar Pradesh.

He shall also cause conduct of an inquiry to be carried out in relation to be alleged misconduct of the Investigating Officer of the present case viz. Sanjeev Kumar Singh, Narayanpur, Police Station-Adalhat, Mirzapur and to take strict disciplinary action against the Investigating Officer, who conducted the Investigation.

The D.G.P. concerned will also furnish 2nd, 3rd and 4th report at quarterly intervals, giving details of persons deputed for training, resources deployed and details of persons, who could not be deputed for training or who refused to undergo training. "

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन हेतु वर्ष 2018 में जारी की गयी विवेचना हस्तपुस्तिका को अद्यतन करते हुये उसका नवीन संस्करण तैयार किया गया। इस विवेचना हस्तपुस्तिका में विवेचना से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्देश तथा विभिन्न प्रकार के अपराधों की विवेचना हेतु Standard Operating Procedure (S.O.P.) को सम्मिलित किया गया है। मुख्यालय स्तर पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद तथा उ0प्र0 शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में जारी किये गये डीजी परिपत्रों को भी शामिल किया गया है।

उपरोक्त के क्रम में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि परिपत्र के साथ संलग्न विवेचना हस्तपुस्तिका-2021 का भलीभाँति अध्ययन कर लें तथा हस्तपुस्तिका की प्रतियाँ अपने जनपद के समस्त थानों पर उपलब्ध करा दें जिससे थाना स्तर पर विवेचक विवेचना के सम्बन्ध में अद्यतन जानकारी से अवगत हो सकें और उनका उपयोग विवेचना के दौरान कर सकें।

उपरोक्त के क्रम में किसी भी प्रशिक्षण संस्थान में जो भी प्रशिक्षण आयोजित हो, उन प्रशिक्षणार्थियों को निर्गत की जा रही विवेचना से सम्बन्धित हस्तपुस्तिका में संकलित किये गये परिपत्रों के सम्बन्ध में विस्तार से व अनिवार्य रूप से अवगत कराया जाये।

आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि जनपद के विवेचकों को विवेचना की बारीकियों से परिचित कराने हेतु समय-समय पर कार्यशालाओं का आयोजन कराया जाये जिसमें विधि विशेषज्ञों, साइबर क्राइम / कम्प्यूटर विशेषज्ञों, विधि विज्ञान प्रयोगशाला के विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाये जो कार्यशाला के दौरान विवेचकों की व्यवहारिक समस्याओं का समाधान एवं शंकाओं का निराकरण कर सकें। कार्यशाला के एक सत्र में अनिवार्य रूप से अपर पुलिस महानिदेशक, जोन अथवा पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र द्वारा प्रतिभाग किया जाये।

संलग्नक: विवेचना हस्तपुस्तिका।

भवदीय,

(मुकुल गोयल)

1.समस्त पुलिस आयुक्त, उ0प्र0।
2.समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/प्रभारी जनपद/रेलवे, उ0प्र0।

प्रतिलिपि:

1. समस्त पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
3. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
4. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।